अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)
सुनेल रोड, झालरापाटन, झालावाड़, राजस्थान–326023
टेलिफोनः +91-07432-242811, 242812
ई–मेलः principalgecj@gmail.com
वेबसाईटः www.gecj.ac.in

ENGINEERING COLLEGE JHALAWA

(An Autonomous Institution of Government of Rajastha
Sunel Road, Jhalrapatan, Jhalawar, Rajasthan- 3260
Tel.No.+91-07432-242811, 2428
Email: principalgecj@gmail.co
Website:www.gecj.ac

Ref. No.GECJ/Acad/2020-21/346 **Date:** 03/07/2020

कार्यालय– अकादमिक विभाग

डीन, अकादमिक विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के पत्रांक RTU/Acad./F(17)/2020/149-53 दिनांक 27.06.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि सत्र 2020–21 में पूर्ववर्ती प्रवेशित छात्र–छात्राओं के विषम सेमेस्टर की ऑन–लाईन कक्षाऐं शीघ्र अतिशीघ्र प्रारम्भ कर अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

महाविद्यालय में बी.टेक एवं एम.बी.ए. विभागों के समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित विभाग में Online Platform बनाकर अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी जानकारी विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग को शीघ्र भिजवाया जाना है, अतः उक्त कार्य निम्न प्रारुप में सम्पन्न करने का श्रम करें।

1. सेमेस्टर के अनुरुप छात्र–छात्राओं को Online Platform पर जोडना।
2. ऑन–लाईन कक्षाओं का समय–सारणी तैयार कर छात्रों/शिक्षकों को अवगत करवाना।
3. RTU द्वारा जारी Acadmic Calender की पालना करते हुए प्रत्येक विषय से संबन्धित Scheme, Subject Material इत्यादि विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाना, जिससे कि समयबद्ध कोर्स एवं कक्षाऐं पूर्ण हो सके।
4. ऑन–लाईन व्याख्यानों का संग्रहण जिसमें सम्बन्धित Subject, Lecture number, Date and Time की सूचना भी सम्मलित हो।
5. ऑन–लाईन Platform पर उपस्थित छात्र–छात्राओं की उपस्थिति का संकलन Lecturewise and Datewise किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सम्पूर्ण सूचना विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर संकलित करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार अकादमिक विभाग या प्राचार्य कार्यलय को उपलब्ध करायेंगे।

विद्यार्थीयों की सूची सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को E-mail से प्रेषित की जावेगी।

राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के सम्बन्ध दिये गये विभिन्न दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये उक्त कार्य का सम्पादन करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(डॉ. अचला नागर)
प्रभारी अधिकारी, अकादमिक विभाग

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. निजि सहायक, प्राचार्य
3. कुलसचिव
4. सूचना पट्ट
5. रक्षित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी, अकादमिक विभाग